

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- /xxxi(15)G/19-74(सा0)/2016
देहरादून दिनांक 18 फरवरी, 2019
विज्ञापित/विविध

सन् 2019 ई0 (शक संवत् 1940-41) हेतु उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक विज्ञापित संख्या-949/xxxi(15)G-74(सा0)/2016-2018, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 के द्वारा अनुलग्नक-3 के क्रमांक-04 पर अंकित गुरु रविदास जयंती दिनांक 19 फरवरी, 2019 (मंगलवार) हेतु घोषित निर्बन्धित अवकाश को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत अवकाश में नियमानुसार संशोधन करते हुए बैंको, कोषागारों एवं उप कोषागारों में भी 19 फरवरी, 2019 (मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-193/xxxi(15)G/19-74(सा0)/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त/गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञापित को समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अवकाश सूची को उत्तराखण्ड सरकार की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।
6